न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 17/2023

श्रीमति [illegible] देवी पत्नी गंगाधर भदाला जाति जाति निवासीनी स्योत्या का बास पोस्ट सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर

–वादीया–

बनाम

1. पूर्णमल पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी ग्राम सांवली तह0 व जिला सीकर
2. पटवारी हल्का चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
3. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

–प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88, आर टी एक्ट

उपस्थित –वकील वादीगण– श्री रतनलाल

वकील प्रतिवादी संख्या 1 – श्री मुकेश कुमार मेहरा

निर्णय

दिनांक : 9.2.2023

[illegible]ल वादीया ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खं. नं0 466 रकबा 0.2900 है0 ग्राम चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर वर्तमान तहसील ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित है। प्रतिवादी सख्या 1 ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिये अपनी सम्पूर्ण 1/4 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 29.9.14 को विक्रय कर अपना कब्जा सम्भला दिया। उक्त भूमि पर उस दिन से वादिया का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादिया एक महिला होने के कारण उसने नामान्तरकरण खुलवाने के लिये पटवारी को विक्रय पत्र की प्रति दे दी और राजस्व रिकार्ड की ओर ध्यान नहीं दिया। राजस्व रिकार्ड की नकल लेने के लिये पटवारी के पास गये तो पता चला कि खातेदारी अभी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है। पटवारी से

कहा तो उसने कहा कि अब काफी समय हो चुका है इसलिये न्यायालय से आदेश लेना पड़ेगा। इसलिये दावा करना आवश्यक हुआ। अतः वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात में से दर्ज 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीया को घोषित किया जावे।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित रहे। ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया । प्रतिवादी सख्या 2 ता 3 बावजूद विधिवत तामिल के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं रहने के कारण इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

वकील उभय पक्ष ने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया । बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075 से 2084 के अनुसार विवादित अराजियात की खातेदारी में से 1/4 हिस्से की खातेदारी पूर्णमल पुत्र जैसाराम जाति जाट के नाम से दर्ज है। प्रस्तुत विक्रय पत्र के अनुसार वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया है। खातेदारी अभी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादिया एवं प्रतिवादी सख्या 1 दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया उभयपक्ष की सहमति से स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि ख. नं0 466 रकबा 0.2900 है0 वाके ग्राम चन्दपुरा तहसील ग्रामीण सीकर जिला सीकर में वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2023 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर